(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र क्र. /2018 विविध - 5231/2018/रीवा/भू.रा.

गैवीप्रसाद पुत्र स्व. बृजभान राम निवासीः ग्राम– गड़ीहापार, तेहसील मऊगंज, जिला–रीवा ।

——— आवेदक

श्री आई. पी. द्विवेदी द्वारा आज दि. 25-8-18 प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 30-8-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 25-8-18

बनाम

सुशील पुत्र स्व. गंगाप्रसाद व अन्य

——— अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत ~~धारा 51~~ 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

श्रीमान् जी,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न है :–

(1) यह कि, प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र पुनरीक्षण का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसका प्र. क्र. 2365/III/2006 R उनवान गैवी बनाम सुशील आदि है जिसमें दिनांक 8/8/2018 को आदेश पारित किया गया है ।

(2) यह कि, माननीय न्यायालय पारित आदेश दिनांक 8/8/2018 के उनवान में मूल आवेदन हरिवंश के वारिसानों का नाम अंकित नहीं किया गया है जबकि अनावेदक क्र. 12 लगायत 15 के रूप में लिखा गया है जो टाइपिंग त्रुटिवश लिखा गया है । जबकि हरिवंश के वारिसानों का नाम निगरानी मेमो में आवेदकगण के रूप में लिखना था इसलिए आदेश में आवेदक के रूप में हरिवंश के वारिसानों का नाम आदेश दिनांक 8/8/2018 में लिखा जाना न्यायहित में है ।

(3) यह कि, उक्त त्रुटि सहवन टाइपिंग त्रुटि है जिसे सुधारा जाना न्यायोचित है ।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक के रूप में हरिवंश के वारिसानों का नाम आदेश दिनांक 8/8/2018 में अंकित करने की कृपा की जावे तथा अनावेदक क्र. 12 लगायत 15 के रूप में लिखे नाम हटाए जाने की कृपा की जावे ।

दिनांक : 25/08/2018 प्रार्थी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 5231/2018/रीवा/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
12-10.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री आई0 पी0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2365–तीन/2006 पक्षकार गैवीप्रसाद, जिसमें अनावेदकगण के रूप में पक्षकार अरूण कुमार तिवारी, कमल कुमार तिवारी, पुत्रगण हरिवंश प्रसाद , श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 हरिवंश प्रसाद, आशा देवी पुत्री स्व0 हरीवंश प्रसाद निवासीगण ग्राम गडीहापार तहसील मऊगंज जिला रीवा में भूलवश इसलिये हो गये है क्यों कि अपर आयुक्त की निगरानी मेमों में भी अनावेदक के रूप में इनका नाम था। अतः अनुरोध है कि अनावेदकगण कमांक 12, 13, 14, 15 जिनके नाम अरूण कुमार तिवारी, कमल कुमार तिवारी, पुत्रगण हरिवंश प्रसाद श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 हरिवंश प्रसाद, आशा देवी पुत्री स्व0 हरिवंश प्रसाद निवासीगण ग्राम गडीहापार तहसील मऊगंज जिला रीवा को आवेदकगण के रूप में जोड़ने का आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है। 2–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा अभिलेखका अवलोकन किया गया। इससे प्रतीत होता है कि यह त्रुटि अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में हुई थी। अतः आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण कमांक 12, 13, 14, 15 को आवेदकगण पक्षकार के रूप में नाम अरूण कुमार तिवारी, कमल कुमार तिवारी, पुत्रगण हरिवंश प्रसाद श्रीमती कलावती पत्नी स्व0 हरिवंश प्रसाद, आशा देवी पुत्री स्व0 हरिवंश प्रसाद निवासीगण ग्राम गडीहापार तहसील मऊगंज जिला रीवा को जोड़ने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल आंग मानी जावेगी। सदस्य	